

## न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीदासर

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

उदय कंवर पत्नि पदमसिंह जाति रावणा  
राजपूत निवासी लक्ष्मीनगर, बाड़मेर  
तहसील व जिला बाड़मेर।

1. जोगाराम पुत्र अचलाराम 2. महादेवा  
पुत्र अचलाराम 3. टीकमाराम पुत्र  
जोराराम 4. खंगाराराम पुत्र सवाराम 5.  
रामजीराम पुत्र सवाराम 6. मेघाराम पुत्र  
सवाराम 7. पुनमाराम पुत्र जोराराम 8.  
वालाराम पुत्र जोराराम 9. जोघाराम पुत्र  
जोराराम 10. पदमाराम पुत्र गंगाराम  
11. पताराम पुत्र गंगाराम 12. गांगाराम  
पुत्र गंगाराम जातियान रबारी,  
निवासीयान गोपाल गौशाला के पीछे,  
बीदासर तहसील व जिला बाड़मेर। 13.  
पीताम्बर सुखानी जाति ब्राहमण,  
निवासी-सुखाणियों की गली लक्ष्मीपुरा  
तहसील व जिला बाड़मेर 14.  
बलवंतसिंह पुत्र पुनमसिंह जाति रावणा  
राजपूत, निवासी लक्ष्मीनगर, बाड़मेर 15.  
नरपतसिंह पुत्र चुतरसिंह जाति राजपूत  
निवासी गोपाल गौशाला के पास,  
बाड़मेर 16 कमलादेवी पत्नि पुरुषोत्तम  
सोनी निवासी गेहू विशाला रोड  
सरदारपुरा बाड़मेर तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्  
राजस्व आवेदन संख्या-54/2021 दिनांक-10.12.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा वीदासर पटवार हलका बाड़मेर आगौर तहसील व जिला  
बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 2658/1389 रकबा 09 बीघा, के चारों तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये  
नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी  
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश  
दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अर्द्ध एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की  
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक-10/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6563-6566

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पाठनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगौर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित  
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी उदय कंवर पत्नि पदमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लक्ष्मीनगर, बाड़मेर तहसील व  
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जोगाराम पुत्र अचलाराम वगैरह जाति रबारी/बहामण/रावणा राजपूत  
निवासी-गोपाल गौशाला के पीछे, बीदासर/ सुखाणियों की गली लक्ष्मीपुरा/लक्ष्मीनगर/गेहू  
विशाला रोड सरदारपुरा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर